महत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

5. सचिव,
उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
लखनऊ।

6. रजिस्ट्रार,
उ.प्र. भू–सम्पदा अपीलीय अधिकरण,
लखनऊ।

7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ.प्र. लखनऊ।

8. निदेशक,
आवास बन्धु,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉक:29 नवम्बर, 2023**

विषयः– राज्य सरकार के सभी विभागीय एवं स्वायत्त शासी निकायों की वेबसाइट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक Guidelines for Indian Government Website (GIGW) के अनुरूप एवं दिव्यांगजन हितैषी फीचर्स के अनुरूप विकास/नवीनीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया राज्य सरकार के सभी विभागीय एवं स्वायत्तशसी निकायों की वेबसाइट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक Guidelines for Indian Government Website (GIGW) के अनुरूप एवं दिव्यांगजन हितैषी फीचर्स के अनुरूप विकास/नवीनीकृत किये जाने संबंधी प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1109/78–2–2023–ई–249239 दिनांक 01.11.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें, इसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की सम्पन्न चतुर्थ बैठक दिनांक 27.06.2023 में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं :–

"राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गयी कि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों एवं स्वायतशासी निकायों के वेबसाइट को भारत सरकार के निर्धारित जी.आई.जी.डब्ल्यू. मानक के अनुरूप एन.आई.सी. के माध्यम से विकसित करना सुनिश्चित करें।"

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अभिकरण की वेबसाइट का

भारत सरकार के मानक Guidelines for Indian Government Website (GIGW) के अनुसार विकास/नवीनीकरण की कार्यवाही एन.आई.सी. अथवा आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन संस्थाओं यथा–यूपीडेस्को, यू.पी.एल.सी. आदि के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by उदय भानु त्रिपाठी
Date: 29-11-2023 11:11:11
Reason: Approved

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
4. अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपी डेस्को, अप्ट्रान बिल्डिंग, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ–226010
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव

File No.78-02099/1011/2019-00 0 -2-00

2610528/2023/ -3

514

संख्या– 2803/आठ–3–2023

85248/ACS H/23

महत्वपूर्ण

संख्या- 1109/78-2-2023- ई-249239

सचिव

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

10-11-2023

(विनोद शर्मा)
निजी सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0 शासन।

US (A) | SO-3 | 3092/V.S(M)/23

(के0 एल0 यादव)
निजी सचिव,
विशेष सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/
सचिव, उ0प्र0शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 01/11/2023

विषयः राज्य सरकार के सभी विभागीय एवं स्वायत्तशासी निकायों की वेबसाइट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक Guidelines for Indian Government Website (GIGW) के अनुरुप एवं दिव्यांगजन हितैषी फीचर्स के अनुरुप विकास / नवीनीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27-06-2023 को दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की चतुर्थ बैठक सम्पन्न हुयी, जिसका कार्यवृत्त संलग्न है।

2- उक्त बैठक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा की गयी कार्यवाहियों की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुये विभागों को बोर्ड द्वारा कतिपय निर्देश दिये गये हैं जिसमें आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के लिए निम्नवत निर्देश दिए गए हैं:-

" राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गयी कि आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों एवं स्वायतशासी निकायों के वेबसाइट को भारत सरकार के निर्धारित जी0आई0जी0डब्ल्यू0 मानक के अनुरुप एन0आई0सी0 के माध्यम से विकसित कराना सुनिश्चित करें।"

3- अतः राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में प्राप्त निर्देशों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग एवं उसके अधीन संस्थाओं, स्वायत्तशासी निकायों आदि की वेबसाइटों का भारत सरकार के मानक Guidelines for Indian Government Website (GIGW) के अनुसार विकास / नवीनीकरण यदि अभी तक न कराया गया हो तो तत्सम्बन्धी अपेक्षित कार्यवाही एन0आई0सी0 अथवा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन संस्थाओं यथा-यूपीडेस्को, यूपीएलसी आदि के माध्यम से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही की आख्या आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3041/PS/VS(M)/23

VS(M)

संलगनक-यथोक्त।

भवदीय,

10-11-2023

(रामधारी वर्मा)
निजी सचिव,
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

14/11/2023

Signed by अनिल कुमार सागर
(अनिल कुमार सागर)
Date: 01-11-2023 17:38
प्रमुख सचिव
Reason: Approved

संख्या- 1109(1)/78-2-2023 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव,मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0 प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभाग), दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि रंजन
विशेष सचिव

updesco

VS(NJ)

सन्दर्भः D/23-24/2968
दिनांक 09-10-2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उ.प्र. शासन।

विषयः- दिव्यांगता एर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 27.06.2023 में लिए गये निर्णयों/बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या-789/78-2-2023-ई-249239 दिनांक 11-08-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या-229/65-3-2023-01/2018 दिनांक 24-07-2023 एवं निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ.प्र. लखनऊ के पत्र संख्या-सी-1884/दि.ज.स.वि./रा.स. बो./2023-24 दिनांक 26.07.2023 की मय संलग्नक (मा. राज्य मंत्री, स्वतन्त्र प्रभार, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/अध्यक्ष, राज्य सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर गठित "राज्य सलाहकार बोर्ड" की चतुर्थ बैठक दिनांक 27.06.2023 के कार्यवृत्त) की छायाप्रतियां संलग्न कर भेजते हुए तदनुसार इस कार्यवृत्त के बिन्दु-संख्या-4.2 एवं 4.6 के उप प्रस्तर-4 के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सहित निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण को भी उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति आई.टी. अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने की यूपीडेस्को से अपेक्षा की गयी है।

2. राज्य सलाहकार बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 27.06.2023 के कार्यवृत्त के बिन्दु-संख्या-4.2 एवं 4.6 के उप प्रस्तर-4 में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से क्रमशः निम्नवत कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

(1) राज्य सलाहकार बोर्ड की दिनांक 14.09.2022 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त/निर्णयों का अनुपालन किया जाना।

(2) राज्य सरकार के सभी विभागों एवं स्वायतशासी निकायों के वेबसाइट को भारत सरकार के निर्धारित जी.आई. जी.डब्ल्यू. मानक के अनुरूप एन.आई.सी. के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना।

3. अवगत कराना है कि राज्य सलाहकार बोर्ड की तृतीय बैठक दिनांक 14.09.2022 के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-3.6 बिन्दु-4 में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से निम्नवत कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी :-

"राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गयी कि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों एवं स्वायतशासी निकायों के वेबसाइट को भारत सरकार के निर्धारित जी.आई.जी.डब्ल्यू. मानक के अनुरूप दिव्यांगजन हितैषी कराये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करें। वस्तुतः यह प्राविधान राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी भी है।"

4. उक्त बिन्दु-3 के क्रम में मुख्य सचिव महोदय के स्तर से समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन, समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश तथा समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ.प्र. शासन से शासनादेश संख्या-1506/78-2-2022-ई-249239 दिनांक 12 जनवरी, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पूर्व में ही विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित कराया जा चुका है तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को संसूचित किया जा चुका है।

5. सन्दर्भित शासनादेश द्वारा विभागों तथा उनके अधीनस्थ अधिष्ठानों एवं जिलाधिकारियों से यह अपेक्षा की गयी थी कि गाइडलाइन्स फार इण्डियन गवर्नमेन्ट वेबसाइट (जी.आई.जी.डब्ल्यू) के अनुरूप वेबसाइट के रिफर्बिशमेन्ट/नवीनीकरण की जिन विभागों द्वारा अभी तक कार्यवाही न करायी गयी हो उनके द्वारा यह कार्यवाही पूर्ण कराते हुए आई.टी. एवं इले.विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाय। इस प्रकार शासनादेश के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धित विभागों/अधिष्ठानों के स्तर से अपेक्षित है।

CIN : U51109 UP 1977 SGC 004392
उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि.
(उ. प्र. सरकार का उपक्रम)
अपट्रान बिल्डिंग, द्वितीय तल, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2307803 | फैक्स : 0522-2307832
email : mdupdesco.up@gmail.com | Website : www.upite.gov.in/UPDESCO

6. तथ्य है कि राज्य सलाहकार बोर्ड की दिनांक 27.06.2023 को सम्पन्न चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु-संख्या-4.2 में राज्य सलाहकार बोर्ड की दिनांक 14.09.2022 को सम्पन्न तृतीय बैठक के कार्यवृत्त/निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित न कर पाने वाले विभागों यथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास, परिवहन, शिक्षा (बेसिक,माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग) के साथ आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का भी उल्लेख है जबकि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा बोर्ड की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त/निर्णयों का अनुपालन उक्त बिन्दु-4 व 5 के अनुसार सुनिश्चित कराया जा चुका है। इस प्रकार से राज्य सलाहकार बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 27.06.2023 के कार्यवृत्त के बिन्दु-संख्या-4.2 का आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा अनुपालन पूर्व में ही किया जा चुका है।

7. राज्य सलाहकार बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 27.06.2023 के कार्यवृत्त के बिन्दु-संख्या-4.6 के उप प्रस्तर-4 में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से निम्नवत कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

> "राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गयी कि आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों के वेबसाइट को भारत सरकार के निर्धारित जी.आई.जी.डब्ल्यू. मानक के अनुरूप एन.आई.सी. के माध्यम से विकसित कराना सुनिश्चित करें।"

8. उल्लेख करना है कि जी.आई.जी.डब्ल्यू. मानकों के अनुरूप सभी विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों की वेबसाइटों के विकास एवं स्थापना का कार्य एन.आई.सी. के अतिरिक्त आई.टी. विभाग के अधीन संस्थाओं यथा यूपीडेस्को, यूपीएलसी आदि द्वारा भी सम्पन्न कराया जाता है।

9. उपरोक्त बिन्दु-7 के अनुसार बोर्ड की चतुर्थ बैठक के उक्त निर्णय/निर्देश तथा बिन्दु-8 के अनुसार आई.टी. विभाग की संस्थाओं हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ.प्र. की ओर से समस्त प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश के लिए शासन स्तर से निर्गत किये जाने वाले शासनादेश का आलेख तैयार कराकर इस पत्र में संलग्न किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रकरणगत स्थिति से अवगत होते हुए बोर्ड की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु-4.6 के उप प्रस्तर-4 के अनुपालन में कृपया संलग्न शासनादेश के आलेख को यथावश्यक भाषा एवं आवश्यक परिमार्जन के साथ शासन स्तर से निर्गत कराने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,

06.10.23

(नेहा जैन)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः अनु सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ.प्र. शासन को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नेहा जैन)
प्रबन्ध निदेशक

दिव्यांगता पर गठित "राज्य सलाहकार बोर्ड" की चतुर्थ बैठक दिनॉक 27.06.2023 का कार्यवृत्त

मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनॉक 27.06.2023 में उपस्थित बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों एवं शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/प्रतिनिधियों का मा0 मंत्री/अध्यक्ष, सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वागत किया गया। मा0 मंत्री जी ने अपने उदबोधन में अवगत कराया कि विभाग द्वारा दिव्यांगजन के हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार विभागीय योजनओं के माध्यम से दिव्यांगजन का बौद्धिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पुनर्वासन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। मा0 अध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सदस्यों से यह अपेक्षा की गयी कि दिव्यांगजन के कल्याण हेतु अपने बहुमूल्य विचारों एवं सुझावों के माध्यम से सहयोग करते हुए दिव्यांगजन के उत्थान में अग्रणी योगदान दे सकते है।

अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं एवं केन्द्रीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ प्रत्येक दिव्यांग जन को प्राप्त हो, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो और वह प्रदेश एवं देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान प्रस्तुत कर सके, पर बल दिया गया।

2- अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा मा0 अध्यक्ष, राज्य सलाहकार बोर्ड की अनुमति से बैठक के एजेण्डा बिन्दु पर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

बिन्दु संख्या	कार्यवृत्त
बिन्दु संख्या 4.1	**"राज्य सलाहकार बोर्ड" की तृतीय बैठक दिनॉक 14.09.2023 की कार्यवृत्त की पुष्टि।**
	दिव्यांगता पर गठित "राज्य सलाहकार बोर्ड" की तृतीय बैठक दिनॉक 14 सितम्बर, 2022 का कार्यवृत्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-510/65-3-2022-01/2018 दिनॉक 26 सितम्बर, 2022 के माध्यम से बोर्ड के सदस्यगण को प्रेषित किया गया था, जिस पर किसी भी सम्मानित सदस्य द्वारा कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई। अतः तृतीय बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि प्रदान की गयी।
बिन्दु संख्या 4.2	**"राज्य सलाहकार बोर्ड" की तृतीय बैठक की कार्यवृत्ति/निर्णयों पर अनुपालन स्थिति।**
	राज्य सलाहकार बोर्ड के मा0 सदस्यगण को बोर्ड की तृतीय बैठक दिनॉक 14 सितम्बर, 2022 के निर्णय के क्रम में कृत कार्यवाही से अवगत कराया और यह पाया गया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शहरी आवास एवं नियोजन, नगर विकास विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग (बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग), आई0टी0 एण्ड इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया है। इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित उक्त विभाग के अधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग के स्तर पर अनुपालन/कार्यवाही पूर्ण करते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को अवगत करा दिया जायेगा।

बिन्दु संख्या 4.3 एवं 4.4	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में परिभाषित समस्त 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाये जाने के सबंध में। एवं दिव्यांगजन को यूडीआईडी योजना से आच्छादन के संदर्भ में।
	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-2 में उल्लिखित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय निःशक्तजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय-7 के अन्तर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। विगत 02 वर्ष में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी की अद्यतन स्थिति का अवलोकन राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा किया गया। राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश से अपेक्षा की गई कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में उल्लिखित समस्त प्रकार की दिव्यांगताओं हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को पूर्ण करते हुए प्रबन्ध कराया जाये, यदि आवश्यक हो तो निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें नियमानुसार जनपद स्तर पर गठित होने वाली दिव्यांगता बोर्ड में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सम्मिलित किया जाय। राज्य सलाहकार बोर्ड को अवगत कराया गया कि गत वर्ष 3.50 लाख यूडीआईडी कार्ड जनरेट हुए थे जो अब तक एक अभियान के माध्यम से बढ़कर 10,85,645 हो चुके है। बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि जनवरी, 2023 तक 2.00 लाख के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिव्यांगजन की यूडीआईडी बनाये जाने के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग यूडीआईडी कार्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में समुचित प्रबन्धन करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।
बिन्दु संख्या 4.5	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की 100 दिवस, 06 माह एवं 01 वर्ष की कार्ययोजना एवं लक्ष्य पूर्ति के संदर्भ में।
	राज्य सलाहकार बोर्ड को विभाग की कार्य योजना एवं लक्ष्य की पूर्ति के सम्बन्ध में क्रमशः अवगत कराया गया कि विभागीय 16 विशेष विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी, स्वैच्छिक संस्थाओं के पंजीयन एवं अनुदान हेतु संचालित योजनाओं हेतु आनलाइन पोर्टल को लाइव कर दिया गया, विभागीय ऑनलाइन बजट मानीटरिंग सिस्टम डेवलेप कर सॉफ्टवेयर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में जेल प्रेस की स्थापना के साथ विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन का कार्य पूर्ण करने के साथ ही परिसर में निर्मित विशिष्ट स्टेडियम का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य सलाहकार बोर्ड ने विभाग द्वारा 100 दिवस, 06 माह एवं 01 वर्ष की कार्य योजना एवं लक्ष्य पूर्ति को दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बोर्ड द्वारा आगामी 02 वर्ष 03 वर्ष एवं 05 वर्ष की कार्य योजना बनाकर लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।
बिन्दु संख्या 4.6	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में तत्सबंधी नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त विकास कार्यक्रमों तथा (गरीबी उन्मूलन एवं

सामाजिक पुरूत्थान से संबधित) में निर्धारित न्यूनतम 03 प्रतिशत के अनुपात में लाभान्वित किये जाने के संदर्भ में।

राज्य सलाहकार बोर्ड को केन्द्रीय योजना-सुगम्य भारत अभियान के अन्तर्गत प्रदेश सरकार के कार्यालयों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक भवनों को बाधारहित बनाये जाने की अद्यतन स्थिति से विभागवार निम्नवत अवगत कराया गया:-

1-आवास एवं शहरी नियोजन विभाग-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत समस्त भवनों में बाधारहित वातावरण की सुविधा प्रदान किये जाने के सबंध में अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाले अधिकांश भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण प्रदान किये जाने सबंधी सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है, और शेष पर कार्य चल रहा है जिसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि विकास प्राधिकरणों के अन्तर्गत आने वाले निजी अस्पतालों, विद्यालयों एवं विविध प्रकार के कॉम्प्लेक्सों में दिव्यांगजन की सुविधा के दृष्टिगत रैम्प, बाधारहित शौचालय आदि के निर्माण की कार्यवाही की जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि विकास प्राधिकरणों द्वारा शासकीय नवीन भवनों एवं निजी भवनों (सार्वजनिक महत्व के भवनों) के नक्शों को अनिवार्य रूप से दिव्यागंजन हेतु बाधारहित वातारण उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही के साथ ही पास किये जायें। साथ ही शासकीय पुराने भवनों में जहा दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातारण (रैम्प, बाधारहित शौचालय आदि) उपलब कराया जाना सुनिश्चित करें।

2-नगर विकास विभाग-

नगर निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक भवनों/स्थल, पार्कों, सुलभ शौचालयों आदि को दिव्यांगजन हेतु बाधारहित बनाये जाने के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के समस्त 734 नगर निकायों में दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

नगर विकास विभाग के अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए विभाग के अभियन्ताओं की ट्रेनिंग कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

3-परिवहन विभाग-

बोर्ड की बैठक के दौरान परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि निगम की बसों में 04 सीटें दिव्यांगजन हेतु आरक्षित की गई है और यह भी अवगत कराया कि उ0प्र0परिवहन निगम की लो फ्लोर बसों लॉग रूट पर नहीं चलती है।

बोर्ड की बैठक के दौरान कई मा0 सदस्यों द्वारा परिवहन निगम की बसों में वाहन चालक/परिचालकों द्वारा दिव्यांगों के प्रति मानवीय व्यवहार के साथ लो फ्लोर बसों को लॉग रूट पर चलाये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। निर्देश दिये गये कि विभाग के स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जायें जिसमें वाहन चालकों/परिचालकों को दिव्यांगजन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया जाय। साथ ही दिव्यांगजन के हितार्थ लो फ्लोर बसों को भी लॉग रूट पर चलाये जाने के निर्देश के साथ ही शेष बचे बस अड्डों को बाधारहित बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

4-आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग-

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों के 145 वेबसाइटों को जी0आई0जी0डब्लू0 मानक के अनुरूप किया जा चुका है। विभागीय गाईडलाइन के अनुसार दिव्यांग फीचर्स को 45 प्रशासनिक विभागों में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की 04 कम्पनियों के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा अपेक्षा की गई आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों के वेबसाइट को भारत सरकार के निर्धारित जी0आई0जी0डब्लू0 मानकों के अनुरूप एन0आई0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

5-बेसिक शिक्षा विभाग-

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय वेबसाइटों एवं पोर्टलों पर दिव्यांगजन हेतु प्रदान की जा रही सुविधाओं यथा-प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था को अपलोड करा दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 2192 विशेष शिक्षक तैनात हैं। 299 विशेष शिक्षकों के चयन की कार्यवाही प्रचलन में है, जो शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जायेगी। यह भी अवगत कराया गया कि विभागीय विद्यालयों में 2708 पूर्ण दृष्टिहीन छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं और ऐसे बिजन छात्रों की संख्या 3454 है। इसके अतिरिक्त समर्थ पोर्टल के माध्यम से दिव्यांग छात्र/छात्राओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

यह भी अवगत कराया गया है कि 19774 छात्र/छात्राएं को एलिम्को के माध्यम से दिव्यांग उपकरण वितरित किये गये हैं। विभागीय विद्यालयों में दिव्यांग छात्र/छात्राओं को बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु लगभग प्रत्येक विद्यालयों में रैम्पों का निर्माण कराया गया, अभी भी बाधारहित शौचालयों का निर्माण शेष है।

राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्देशित किया गया कि 299 विशेष शिक्षक की नियुक्ति शीघ्र की जाये और विद्यालयों में दिव्यांग छात्र/छात्राओं हेतु बाधारहित शौचालयों के निर्माण में तेजी लायी जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-132/2016 रजनीश पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

6-माध्यमिक शिक्षा विभाग-

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभागीय वेबसाइटों एवं पोर्टलों पर दिव्यांगजन हेतु प्रदान की जा रही सुविधाओं यथा-प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था आदि को अपलोड करा दिया गया है। बैठक के दौरान कई मा0 सदस्यों द्वारा निजी विद्यालयों में दिव्यांग छात्र/छात्राओं को 9वीं कक्षा में प्रवेश न दिये जाने के संबंध में अवगत कराया गया।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0-132/2016 रजनीश पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशों का पूर्ण से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

बोर्ड के कई सदस्यों द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के निजी विद्यालयों के दिव्यांगजन छात्रों को प्रवेश न दिये जाने की बात बतायी गयी। मा0 मंत्री/अध्यक्ष, सलाहकार

	बोर्ड द्वारा उक्त के परिपेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग को दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का निर्देश दिया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त के सबंध में दिशा-निर्देश/आदेश निर्गत किये जाने का आश्वासन दिया गया।
बिन्दु संख्या 4.7	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में प्रावधानित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सृजित पदों पर दिव्यांगजन की नियुक्ति व आरक्षण की पूर्ति के संदर्भ में।
	कार्मिक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्राविधानुसार समस्त विभागों में दिव्यांगजन को वर्तमान में सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के प्रक्रम में 04 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिये जाने संबधी शासनादेश का अनुपालन कराया जा रहा है।
बिन्दु संख्या 4.8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।
	1-सलाहकार बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा परिवहन निगम की लो फलोर बसों को लोकल लेवल के साथ लॉग रूट पर चलाये जाने की मॉग की गयी। 2-सुश्री दीपा मलिक ने दृष्टिबाधित खिलाडियों/गरीब दृष्टिबाधित खिलाडियों को यात्रा के दौरान आवश्यकतानुसार अपेक्षित सुविधा प्रदान किये जाने की मॉग की गयी। 3-सलाहकार बोर्ड के मा0 सदस्यों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों बाधारहित शौचालय बहुत कम है, जिनके शीघ्रातिशीघ्र निर्माण की मॉग की गई। 4-मा0 अध्यक्ष, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा यू0डी0आई0डी0 कार्ड के निर्गमन में आ रही जनपद स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को निजी चिकित्सकों की सेवाये मानदेय पर लिये जाने का सुझाव दिया गया जिससे दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 कार्ड मिलने के उपरान्त राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं से शीघ्रातिशीघ्र लाभान्वित किया जा सके।
	अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुयी।

(हेमन्त राव)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3
संख्या-299/65-3-2023-01/2018
लखनऊ: दिनाँक 24 जुलाई, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/अध्यक्ष, राज्य सलाहकार बोर्ड, उ0प्र0।

2- डा0 नीरज बोरा, मा0 सदस्य, विधान सभा, निवासी-82-83 सेक्टर, प्रियदर्शिनी कालोनी, लखनऊ।

3- डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा, निवासी-54, श्रीनगर, जलेसर रोड, फिरोजाबाद।

4- मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सरोजनी हाउस, 6-भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001

5- सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, पाचवाँ तल, पं0 दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

6- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, नगर विकास विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग सार्वजनिक उद्यम विभाग, खेलकूद विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

9- राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।

10- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।

11- कुल सचिव, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

12- डॉ0 उत्तम ओझा, मातृशक्ति सेवा संस्थान, वाराणसी।

13- श्री पुष्पपाल सिंह, पूजा सेवा संस्थान, डी0डी0 पुरम, गंगाशील हॉस्पिटल के सामने, बरेली।

14- कुलपति, जगदगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उ0प्र0।

15- श्री भगीरथ, विकलांगजन सेवा समिति, कार्यालय देवीपुरा, मीनाक्षी रोड, हापुड़-245101

16- श्री संजय चौरसिया, मानसिक बाल रोग विशेषज्ञ, काशी(वाराणसी)।

17- श्री पारस जैन, नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइण्ड, 20वी जैननगर, रेलवे रोड, मेरठ।

18- श्री हरिकेश चौहान, प्रबन्धक, मंगल मेमोरियल अम्बेडकरनगर शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, मऊ, उ0प्र0।

19- श्री मुशाफिर पासवान, प्रेम ज्योकि समेकित दिव्यांग शिक्षण संस्थान, चिरईगॉव, वाराणसी।

20- श्री संजय शर्मा, नेत्रहीन एवं विकलांग शिक्षण संस्थान, सहारनपुर, उ0प्र0।

21- डा0 वीना सिंह, सचिव, इमराजी देवी शिक्षण संस्थान, प्रयागराज, उ0प्र0।

22- पदमश्री दीपा मलिक, विलिंग हैपिनेश फाउण्डेशन, म0नं0'3904, नोवा ईस्ट टावर, सुपरनोवा, से0-94, गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।

23- सुश्री कमलेश आर्या, प्रबंधक, आर्य सुगन्ध संस्थान, विजनौर, उ0प्र0।

24- श्रीमती मंजू गुप्ता, इन्स्टीटयूट ऑफ रिहैबिलिटेशन, शालीमार गार्डेन, गाजियाबाद, उ0प्र0।

25- सुश्री सविता सिंह, समर्पण संस्थान, गाजीपुर, शास्त्रीनगर, गाजीपुर, उ0प्र0।

26- रिसा कुमार वर्मा, अध्यक्ष, रूलर इनफारमेटिव हार्मोनी एकेडमी, सुल्तानपुर, उ0प्र0।

27- श्री धर्मसिंह जाटव, पदाधिकारी दिव्याग एकता समिति, मेरठ, उ0प्र0।

28- श्री अमित रावत, ब्रेक थ्रो ट्रस्ट, 5/118, विनय खण्ड गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0।

29- डॉ गौतम पाल, हर्ष स्पेशलीएवल केयर फाउन्डेशन, 746/3, जागृति बिहार गढ़ रोड, मेरठ, उ0प्र0

30- श्री अवनीश प्रजापति, अध्यक्ष, विकलांग एवं महिला जागृति संस्थान, गोरखपुर, उ0प्र0।

31- श्री अभिषेक त्रिवेदी, प्रबन्ध सचिव, शहीद अनिल कुमार शिव कुमार मेमोरियल सोसाईटी, फर्रूखाबाद, उ0प्र0।

32- श्री विनम्र अग्रवाल, उ0प्र0 कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज।

33- स्टेट हेड, फेडरेशन ऑफ इण्डियन कन्फेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्रीज। (पदेन/नाम से)

34- महासचिव/अध्यक्ष, एसोसिएटेड चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज। (पदेन/नाम से)

35- विशेष सचिव/संयुक्त, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।

36- निजी सचिव, मा0 नेता सदन, विधान परिषद।

37- दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग- 1/2

38- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लाल बहादुर यादव)
संयुक्त सचिव।